कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 68 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 07/07/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में मा0 घोषणा सं0–1732 / 2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.915 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या –31411 / 2018)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार की पत्र संख्या – 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 66 / 2021 / एफ0सी0 / 935 / दि0 – 29.10.2025**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़, के पत्रांक– 7761 / 12–1 दिनांक– 30.06.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

10/G

अनुभाग

0 4 JUL 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 7761 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 30 जून, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में माननीय घोषणा संख्या 1732/2015 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.915 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/Road/31411/2018)।

संदर्भः– 8बी./यू.सी.पी/09/66/2021/एफ0सी0/935 दिनांक 29.10.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित हैः–

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	Enumeration में 0.28 हे0 वन क्षेत्र जो कि मलवा निस्तारण हेतु चयनित है पर वृक्षों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः पृथक से सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।	मलवा निस्तारण हेतु 0.280 है० चयनित भूमि में कोई भी प्रभावित नहीं हो रहें हैं, जिस का प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	राज्य सरकार द्वारा यह अवगत किया गया है कि कुल 743 वृक्षों (नाप भूमि के वृक्षों को सम्मिलित करते हुये) में से 597 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा। किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनमें वन भूमि के कितने एवं नाप भूमि के कितने वृक्ष होंगे। अतः इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग निर्माण से कुल 734 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसमें सिविल भूमि में कुल 77 वृक्ष हैं, जिसमें (0–10) व्यास वर्ग के 52 वृक्ष झाड़ीनुमा हैं जिसका पातन नही किया जाना है। वन पंचायत भूमि कुल 554 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिसमें 0–10 के 42 वृक्ष झाड़ीनुमा हैं, जिनका पातन नही किया जाना है। नाप भूमि में कुल 112 वृक्ष हैं, जिसमें (0–10) व्यास वर्ग के 52 वृक्ष झाड़ीनुमा हैं, जिस का पातन नहीं किया जाना है। इस प्रकार वन भूमि में 537 वृक्ष एवं नाप भूमि में 60 वृक्ष अर्थात कुल 597 वृक्षों का पातन वास्तविक रूप से किया जाना है।
3	बिन्दु सं0 8 के सापेक्ष संशोधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है जिनमें यह उल्लेखित है कि सी0ए0 हेतु चयनित भूमि 1000 पौधें प्रति हे0 की दर से Plantation हेतु उपयुक्त है, किन्तु न तो DFO द्वारा Site Visit की गई है और ना ही वी0डी0एफ0 दर्शित होने के कारणो को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में वी0डी0एफ0 मान्य नहीं है। अतः Guideline के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित करने का कष्ट करें।	अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र स्थल (ग्राम उड़मा तहसील डीडीहाट) का चयन किया गया है, जिसके डिजिटल मैप जियोरिफरेंस मैप एवं 10 वर्ष की योजना, एव उपयुक्तता प्रमाण पत्र तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
4	Reclamation Plan भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। कृपया Reclamation Plan प्रेषित करने का कष्ट करे।	Reclamation plan संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।